न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भवंर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2019/00063 जिला–नागौर

उमाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी जिन्दास तहसील व जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. बींजाराम पुत्र हेमाराम
2. नारायणराम पुत्र हेमाराम
3. कानाराम पुत्र हेमाराम
4. भंवर लाल पुत्र मल्लाराम
   समस्त जाति भांबी, निवासीगण जिन्दास तहसील व जिला नागौर।
5. चुन्नी पत्नी भैरूराम मृतक जरिये विधिक वारिसानः–
   5/1 मदनराम पुत्र भैरूराम
   5/2 शिकुनराम पुत्र भैरूराम
   5/3 शैतानाराम पुत्र भैरूराम
   5/4 रामूराम पुत्र भैरूराम
   5/5 नारायण राम पुत्र भैरूराम
   5/6 कैलाश पुत्र भैरूराम
   5/7 भंवराई पुत्री भैरूराम
   5/8 कंवराई पुत्री भैरूराम
   5/9 पतासी पुत्री भैरूराम
   5/10 मनफूल पुत्री भैरूराम
   समस्त जाति जाट, निवासीगण जिन्दास, तहसील व जिला नागौर
6. मदनराम पुत्र नत्थूराम
7. गंगाराम पुत्र पूरणाराम
   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम जिन्दास तहसील व जिला नागौर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर
दिनांक 27–03–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 30/2018
बउनवान बींजाराम व अन्य बनाम उमाराम व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री शंकरलाल चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थीगण सं0 1 से 5

निर्णय

दिनांकः— 10—01—2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी विवादित आराजियात खसरा नम्बर 55, 56, 59, व 59/1 की ओर बढ़ाकर अपने खसरान में दबा रहा है व प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की भूमियोंके कुछ रकबा पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण कर लिया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को अपने उक्त खसरान का नाप चोप करवाने का कहने पर अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की भूमि को नहीं छोड़ने के कारण लड़ाई झगड़ा कर मरने मारने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रत्यर्थीगण को सीमाज्ञान कर खातेदारी कीभूमियों का रकबा पूरा कर मौके पर पत्थरगढ़ी कराई जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, नागौर को पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिनांक 27—3—2019 पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27—3—2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य—मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण आपस में पड़ौसी काश्तकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 के कब्जे काश्त सहखातेदारी की आराजियात भूमि खसरा नम्बर 59/1 रकबा 10 बिस्वा गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर 55 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 बाड़ा, खसरा संख्या 56 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा जिन्दास तहसील नागौर में स्थित है। इसके अलावा पास ही स्थित खसरा नम्बर 59 रकबा 9 बिस्वा गै0मु0 निवास रेकार्ड में दर्ज है जिस पर उनके बाड़े बने हुए है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 55, 56 व 59 के बीच मे अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 6 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 57 व खसरा नम्बर 58 स्थित है। जिनके पास ही प्रत्यर्थी संख्या 7 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 54 स्थित है। मौजूदा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 6 व 7 काफी समय से अपने खेतो की सीमा जो खसरा नम्बर 55, 56, 59 व 59/1 की ओर बढ़ाकर अपने खसरा में दबा रहे है व मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी की भूमियों पर नाजायज अतिक्रमण कर लिया है। जब नाप करवाने के लिए कहा तो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गये। इसलिए मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 की कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजियात का सीमाज्ञान करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक है। जिससे भविष्य में कोई विवाद ना हो और उनकी खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 55, 56,

59/1 व 59 का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही अपीलार्थी ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 57 व 58 के सीमाज्ञान करवाए जाने के लिए पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर नागौर के समक्ष प्रकरण संख्या 74/14 में मोजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 को पक्षकार बनाया गया था जिसमे ना तो प्रत्यर्थी का अतिक्रमण करने बाबत काई कथन था ना ही उक्त सीमाज्ञान की रिपोर्ट में इस प्रकार के कोई अतिक्रमण की बात आई थी ना ही उक्त आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अपने खेतो के नाप चोप के बारे कोई उज्र एतराज किया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में निस्तारित किये गये प्रकरण के अनुसार आदेश की पालना नहीं करने देने के लिए प्रत्यर्थीगण ने उक्त आवेदन बदनियतीपूर्वक पेश किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय नागौर ने इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 18–2–2019 को अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि खसरा नम्बर 59 चूंकि गै0मु0आबादी है, जो राजस्व रेकार्ड में गै0मु0आबादी दर्ज है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण उस पर कोई आदेश पारित नहीं किये जा सकते है। अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 59 की वर्तमान जमाबंदी भी प्रस्तुत की थी। उक्त प्रार्थना पत्र व क्षैत्राधिकार के बिन्दु को तय किये बिना ही प्रकरण में बहस सुनकर सरसरी तौर पर आक्षेपित आदेश पारित किया है। साथ ही जहां पक्षकारान के मध्य कोई सीमा विवाद हो तो मौका रिपोर्ट उभय पक्षों की उपस्थिति में ही बनाई जानी चाहिए। परन्तु हस्तगत प्रकरण में राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकपक्षीय मौका रिपोर्ट बनाई गई वहीं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट में खसरा नम्बर 59 को कृषि भूमि होना मानते हुए उक्त रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 17–3–2016 को अपीलार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 57 व 58 की पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया था। उक्त आदेश में खसरा नम्बर 59 के बारे में कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील मौजूदा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई है। जिसके प्रकरण संख्या 77/18 है उसमें स्वयं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 जो उक्त अपील में अपीलार्थी है ने अपने अपील मीमों के पृष्ठ संख्या 3 के पैरा संख्या 3 में उल्लेख किया गया है कि खसरा नम्बर 57, 58, 59/1 बाड़ा है जो वर्तमान में आबादी होने से प्रकरण संधारण योग्य नहीं था तो ऐसी स्थिति में जब वह स्वयं मानते है कि उक्त आराजी गै0मु0आबादी है तो फिर वे खुद गै0मु0आबादी के बाबत उसी न्यायालय मे सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र कैसे कर सकते है। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पात्र में स्वयं की आराजियात के साथ साथ अपीलार्थी के खसरा नम्बर 57 व 58 की भी नाप चोप कर सीमाज्ञान करवाए जाने की प्रार्थना की है जबकि अपीलार्थी की उक्त आराजी के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के

आदेश प्रकरण संख्या 74/2014 में पूर्व में ही हो चुके है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 भी पक्षकार थे। प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमे समस्त कथन काल्पनिक अंकित किये है कि अपीलार्थी द्वारा उनके खसरा नम्बर 55, 56, 59, व 59/1 की सीमा दबाकर रकबा कम किया जा रहा है क्योंकि इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है। पूर्व में अपीलार्थी द्वारा अपनी आराजी खसरा संख्या 57 व 58 के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी बाबत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उमसें प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा स्वयं की आराजी बाबत अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किये जाने का कोई उज्र नहीं लिया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 ने यह भी उल्लेख किया था कि मौके पर कोई विवाद नहीं है पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग करते चले आ रहे है। पड़ौसी पक्षकारें को व्यर्थ की मुकदमेबाजी में नहीं उलझना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को देखे बिना केवल मात्र प्रत्यर्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए गलत रूप से तैयार की गई एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी त्रूटि की है जो निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–3–2019 निरस्त किया जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नागौर के पूर्व आदेश दिनांक 17–3–2016 एवं 27–3–2019 को पारित आदेशों की पालना ही नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 4 में अंकित किया है कि वादग्रस्त खेताय कृषि भूमि होना साबित होता है। उक्त नाप रिपोर्ट को आदेश का अभिन्न अंग माना जाकर प्रार्थी इस अपील में प्रत्यर्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 55, 56, व 59/1 एवं खसरा नम्बर 59 तथा अप्रार्थीगण इस अपील में अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 54, 57 व 58 मौजा जिन्दास तहसील नागौर का राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट के अनुसार संलग्न भाग नक्शा के अनुसार मुंतकिल पोईन्ट से नापचोप कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने के आदेश तहसीलदार नागौर को दिये गये है। साथ ही विवादित आराजियात के पड़ौसी खातेदारों को साथ रखकर सीमाज्ञान कराया जावे। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण ग्राम जिन्दास तहसील नागौर के स्थाई निवासी है तथा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण आपस में खेत पड़ौसी है। प्रत्यर्थीगण के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 56 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा वाके मौजा जिन्दास तहसील नागौर में

स्थित है इसके पास ही खसरा नम्बर 59 रकबा 9 बिस्वागैर मुमकिन निवास या वास रेकार्ड में दर्ज है जिस पर प्रत्यर्थीगण के बाड़े है। अप्रार्थीगण वर्तमान में अपीलार्थी उमाराम जो कि काफी समय से अपने खेतो की सीमा जो खसरा नम्बर 55, 56, 59 व 59/1 की ओर बढ़ाकर अपने खसरान में दबा रहे है व प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की भूमियों के कुछ रकबों पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण कर लिया है । अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण अपने खसरा नम्बरान की भूमियों का नाप चोप करवाने की कहने पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि को नहीं छोड़ने के कारण प्रार्थीगण इस अपील में प्रत्यर्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा कर मरने मारने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थीगण को सीमाज्ञान कर खातेदारी की भूमियो का रकबा पूरा कर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाई जाना आवश्यक है। यदि कोई खातेदार काश्तकार अपनी खेत की आराजी का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराता है तो उसका उसे पूर्ण अधिकार है बशर्ते उभयपक्ष या प्रभावित पक्ष मौके पर उपस्थित हो ताकि भविष्य में कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। अधीनस्थ न्यायालय ने भविष्य में विवाद को मध्य नजर रखते हुए विवादित आराजियात मौजा जिन्दास का नापचोप कर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 55, 56, व 59/1 एवं खसरा नम्बर 59 तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 54, 57, व 58 मौजा जिन्दास तहसील नागौर का राजस्व रेकार्ड एवं तहसीलदार नागौर की मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नक्शा के अनुसार मुंतकिल पोईन्ट से नापचोप कर पत्थरगढ़ी कराये जाने के आदेश पारित किये है जो उचित है क्योंकि पत्थरगढ़ी/सीमांकन जो सभी आस–पड़ौस के खातेदारान की उपस्थिति में सुनवाई करके किया जावेगा यदि फिर भी उक्त पत्थरगढ़ी/सीमांकन करने के पश्चात किसी भी पक्षकार को कोई उज्र होगा तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि तहसीलदार, नागौर द्वारा पत्थरगढ़ी के आदेश दोनों पक्षकारान को सुनकर पारित किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में हमें अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नागौर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–3–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की यह अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नागौर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–3–2019 अन्तर्गत राजस्व प्रकरण संख्या 30/2018 बउनवान बींजाराम व अन्य बनाम उमाराम वगैरह विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवंर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर